प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 01.07.2024

चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 अदद मोबाईल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी-चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चौरी-चौरा के नेतृत्व में उ0नि0 सुनील कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 396/2023 धारा 380 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त लालता यादव उर्फ गोलू को चोरी के 05 अदद मोबाईल के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

वादी मुकदमा के दुकान में एक नकाब पोस व्यक्ति द्वारा मोबाइल व मोबाइल एसेसिरिज चोरी कर लेने के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लालता यादव उर्फ गोलू पुत्र स्व0 दौलतराम निवासी ग्राम करमाजीतपुर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 396/2023 धारा 380/411 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

बरामदगी –

चोरी के 05 अदद मोबाइल

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 सुनील कुमार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
3. प्रशिक्षु उ0नि0 अभय कुमार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
4. का0 मुकेश कुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।